प्रेस नोट | जनपद रामपुर | दिनांक 18-02-2021

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम महोदय द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गई कार्यवाही-

टॉप-10 अभियुक्त एक अद्द नाजायज तमंचे के साथ गिरफ्तार-थाना सिविल लाइन

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 18-02-2021 को श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर डा0 संसार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर, रामपुर श्री विद्या किशोर के कुशल नेतृत्व में थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा टॉप-10 अभियुक्त शावेज उर्फ छोटा को एक अद्द नाजायज तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ रोडवेज बस अड्डा के पूर्वी गेट से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार टॉप-10 अभियुक्त का नाम व पताः-

शावेज उर्फ छोटा पुत्र झब्बू निवासी मौहल्ला मडैयानादर बाग मैगजीन थाना सिविल लाइन, रामपुर। उम्र-28 वर्ष

बरामदगी

एक अद्द नाजायज तमंचा 12 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 12 बोर बरामद हुए।

अभियुक्त शावेज उर्फ छोटा का आपराधिक इतिहासः-

1-मु0अ0सं0-535/16 धारा 379,411 भादवि थाना सिविल लाइन, रामपुर।
2-मु0अ0सं0-579/17 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन, रामपुर।
3-मु0अ0सं0-878/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिविल लाइन, रामपुर।
4-मु0अ0सं0-253/18 धारा 379,411 भादवि थाना सिविल लाइन, रामपुर।
5-मु0अ0सं0-013/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिविल लाइन, रामपुर।
6-मु0अ0सं0-350/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन, रामपुर।
7-मु0अ0सं0-019/20 धारा 2/3 गुण्डा अधिनियम थाना सिविल लाइन, रामपुर।

कार्यवाहीः-

मु0अ0सं0-044/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिविल लाइन, रामपुर।

टॉप-10 अभियुक्त एक अद्द नाजायज तमंचे के साथ गिरफ्तार-थाना सिविल लाइन

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर के निकट पर्यवेक्षण में एंटी रोमियों स्क्वाड द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को किया जा रहा है जागरूक-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम के निकट पर्यवेक्षण मे दिनांक 18-02-2021 को प्रभारी एंटी रोमियो स्क्वाड, रामपुर सुश्री कंचन टोलिया मय टीम द्वारा रजा डिग्री कॉलेज व राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्राओं को तथा नगर क्षेत्र के ज्वालानगर, रोडवेज बस स्टैण्ड, अंबेडकर पार्क, गांधी समाधि आदि भीड-भाड वाले स्थानों और थानों पर गठित एंटी रोमियों टीम द्वारा थाना क्षेत्र के कस्बों, मौहल्लों, गांवों, स्कूलों में जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारो, उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत वूमेन पावर लाइन-1090, समस्त थानों पर बनी हुई महिला हेल्प डेस्क, घरेलू हिंसा हेल्पलाइन नंबर-181, यू.पी.-112 के बारे में जानकारी दी जा रही है एवं उनसे उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी की गयी।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर के आदेशानुसार सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद में भीडभाड वाले एवं मुख्य-मुख्य स्थानों पर की जा रही है संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चैकिंग-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम के आदेशानुसार सुरक्षा एवं शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए समस्त क्षेत्राधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पडने वाले मुख्य-मुख्य चौराहों, तिराहों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चैकिंग की जा रही है। वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के बारे में बताया जा रहा है।

थाना सिविल लाइन:-गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा अभियुक्त 01 अद्द नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार-

दिनांक 18-02-2021 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा अभियुक्त शंकर यादव पुत्र बाबूराम यादव निवासी मौ0 घोसियान थाना कोतवाली, रामपुर को जीतू ढाबे के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अद्द नाजायज चाकू बरामद हुआ। इस संबंध में थाना सिविल लाइन, रामपुर पर मुकदमा अपराध संख्या-43/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0-02/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था।

थाना सिविल लाइन:-एक अद्द नाजायज तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 18-02-2021 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा अतीक पुत्र शरीफ कुरेशी निवासी नई बस्ती मदीना मस्जिद के पास अजीतपुर थाना सिविल लाइन, रामपुर को नाली की पुलिया अजीतपुर से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अद्द नाजायज तमंचा 315 बोर मय 01 कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुआ। इस संबंध में थाना सिविल लाइन, रामपुर पर मुकदमा अपराध संख्या-42/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना सिविल लाइन:- कन्टेनर को तेजी व लापरवाही से चलाकर ई-रिक्शा में टक्कर मारकर दुर्घटना करने वाला कन्टेनर चालक गिरफ्तार-

अज्ञात कन्टेनर चालक ने अपने कन्टेनर नं0-जीजे 01 वीबी 7354 को तेजी व लापरवाही से चलाकर ई-रिक्शा में टक्कर मार दी थी जिससे वादी श्री सतीश पुत्र रामपाल निवासी लालूनंगला थाना शहजादनगर, रामपुर के भाई अनिल कुमार व ई-रिक्शा चालक रोहित की मृत्यु हो गयी थी। इस सम्बन्ध में दिनांक 09-12-2020 को थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0-415/20 धारा 279,338,304ए भादवि पंजीकृत हुआ था। उक्त अभियोग में प्रकाश में आया अभियुक्त (कन्टेनर चालक) मुबारिक हुसैन पुत्र अख्तर हुसैन निवासी भागस थाना नगीना जनपद नूह, हरियाणा को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना पटवाई:-एक अद्द नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 18-02-2021 को थाना पटवाई, रामपुर पुलिस द्वारा खेमपाल पुत्र डोरी निवासी ग्राम काजीपुरा थाना पटवाई, रामपुर को रामनगर को जाने वाले रास्ते पर राजा के भट्टे को जाने वाली चकरोड से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अद्द नाजायज चाकू बरामद हुआ। इस संबंध में थाना पटवाई, रामपुर पर मुकदमा अपराध संख्या-21/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना पटवाई :–एक अद्द नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना सिविल लाइन:-धोखाधड़ी में वांछित चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 18-02-2021 को थाना सिविल लाइन, रामपुर पुलिस द्वारा गुलमेल पुत्र कपूर सिंह निवासी शाहबाद रोड बरेली बाईपास थाना सिविल लाइन, रामपुर को ज्वालानगर तिराहे से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त गुलमेल थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत मु0अ0सं0-483/2019 धारा 406,420,467,468,471 भादवि में वांछित चल रहा था।

थाना गंज:-वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 18-02-2021 को थाना गंज, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त फैजान पुत्र स्व0 श्री शहादत उर्फ फुरसत अली निवासी सैजनी नानकार थाना गंज, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।